



*अबादी सर्वे प्रक्रिया –
RCMS and SAARA पोर्टल*



स्वामित्व योजना अंतर्गत प्रदेश के संभावित पायलट जिले

अनु क्र	संभाग		जिला		उपखण्डों की संख्या	तहसीलों की संख्या	रा.नि.म. की संख्या	प.ह. की संख्या	राजस्व ग्रामों की संख्या	ब्लॉक संख्या	पंचायतों की संख्या
	कोड	नाम	कोड	नाम					ग्रामीण		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10	45	76	254	4390	10332	59	4278
1	01	चम्बल	01	मुरैना	4	8	34	494	799	7	478
2			46	शयोपुर	3	5	13	228	587	3	225
3	03	सागर	10	सागर	9	13	31	774	2071	11	755
4	05	शहडोल	14	शहडोल	4	6	29	403	871	5	391
5	07	इन्दौर	24	खरगौन	5	11	34	602	1399	9	594
6	08	भोपाल	27	विदिशा	8	12	23	587	1645	7	577
7			28	भोपाल	2	3	40	237	554	2	187
8			29	सीहोर	5	9	19	512	1046	5	497
9	09	नर्मदापुरम	50	हरदा	3	6	12	200	521	3	210
10	10	जबलपुर	52	डिंडोरी	2	3	19	353	839	7	364

कुल राजस्व ग्राम - 10332

आबादी सर्वे प्रक्रिया RCMS पोर्टल – पार्ट 1



1





❖ आबादी सर्वे हेतु RCMS पोर्टल पर की जावे वाली न्यायलयीन प्रक्रिया -

- आबादी सर्वे हेतु आयुक्त भू-अभिलेख स्तर पर की जाने वाली प्रक्रिया
- जिला सर्वेक्षण अधिकारी/ कलेक्टर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही



- आबादी सर्वे हेतु आयुक्त भू अभिलेख द्वारा उदघोषणा जारी किया जाना

कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश

क्रमांक 1093 /- भू-५ /2020

ग्वालियर, दिनांक १-१-२०२०

//अधिसूचना//

भू-सर्वेक्षण का प्रारंभ

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त भू-अभिलेख, मध्य प्रदेश द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है की नीचे दी गयी अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं -

सं. क्र.	जिला	तहसील	ग्राम / नगर	पटवारी हल्का क्र./ सेक्टर क्र.	भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	डिंडोरी	डिंडोरी	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
2	डिंडोरी	शहपुरा	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
3	डिंडोरी	बजाग	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
4	हरदा	हरदा	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
5	हरदा	टिमरनी	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
6	हरदा	खिरकिया	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
7	हरदा	रहटगाँव	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
8	हरदा	सिराली	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
9	हरदा	हंडिया	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र

- आबादी सर्वे हेतु सर्व प्रथम आयुक्त, भू अभिलेख द्वारा उदघोषणा जारी की जाती है, जो जिले में तहसीलवार ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामों की आबादी क्षेत्र की होगी।

RCMS पोर्टल पर जिला सर्वेक्षण अधिकारी / कलेक्टर स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही –

- रीडर द्वारा सर्वे हेतु प्रकरण दर्ज किया जाना
- कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वीकृत किया जाना
- सर्वे हेतु अधिसूचना जारी किया जाना
- आगामी कार्यवाही हेतु प्रकरण तहसीलदार स्तर पर प्रेषित करना



- रेवेन्यु केस मैनेजमेंट सिस्टम (RCMS) पोर्टल पर सर्वे हेतु प्रकरण दर्ज किया जाना

The screenshot shows the RCMS portal interface. The navigation menu on the left is highlighted with a red box, and the 'आबादी सर्वे' (Abaadi Sarve) option is circled with a red circle and the number '1'. The main content area displays a dashboard with various statistics and filters.

प्रकरण खोजें

प्रकरण नंबर नाम दिनांक से दिनांक तक स्टेटस चुनें खोजें

राजस्व न्यायालयों के प्रकरणों की वर्तमान स्थिति

निराकृत प्रकरण (3202)	रीडर लॉग-इन पर लंबित आवेदन/प्रकरण (1)	पी.ओ लॉग-इन पर लंबित प्रकरण (24)
सुनवाई (11083)	आज सुनवाई हेतु प्रकरण (0)	आर.आई/ पटवारी को भेजे गये जाँच प्रतिवेदन (0)
आर.आई/ पटवारी को प्राप्त जाँच प्रतिवेदन (0)	लोक सेवा गारंटी के आज समय वाहय होने वाले प्रकरण (0)	कुल प्राप्त प्रकरण (3356)
	प्रक्रियाधीन प्रकरण (127)	

Summary

- आज दर्ज कुल प्रकरण (0)
- आज निराकृत कुल प्रकरण (0)
- आज सुनवाई हेतु कुल प्रकरण (0)

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

कलेक्टर रीडर RCMS पोर्टल पर जाकर लॉग इन करेंगे.

1.लॉग इन पश्चात आबादी सर्वे पर क्लिक करें।



• रेवेन्यु केस मैनेजमेंट सिस्टम (RCMS) पोर्टल पर सर्वे हेतु प्रकरण दर्ज किया जाना

1. नया आवेदन जोड़ें

विषय - ग्राम की आवादी भूमि का सर्वेक्षण एवं अधिकार अभिलेख तैयार करना

भूमि का विवरण

जिला: बैतूल, तहसील: बैतूल, ग्राम: आमला, खसरा: 4, 7

खसरा देखें

प.ह.क्र./सेक्टर क्र.	ग्राम/नगरीया क्षेत्र का नाम	खसरा विवरण	भूमि स्वामी का विवरण	पिता/पति का नाम
0531010204004/कुम्हली	आमला	सर्वेक्षण संख्या/ब्लॉक संख्या/भू-खंड संख्या 7	क्षेत्रफल हेक्टर में 0.437	भू-राजस्व 0.00

2. आवेदक का विवरण

आवेदक का नाम: म.प्र. शासन, अनावेदक का नाम: समस्त ग्राम वासी, अधिसूचना क्रमांक: 1234, अधिसूचना दिनांक: 29/07/2020

राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक: 08/07/2020, टीप: 2346, अधिसूचना की प्रति: Choose File, No file chosen, मिसल बंदोबस्त की प्रति: Choose File, No file chosen

3. सेव करें

4. खसरा देखें

5. सेव करें

1. रीडर द्वारा नया आवेदन जोड़े पेज पर जाकर अधिसूचना अनुसार जिला, तहसील, ग्राम एवं सर्वे किये जाने वाले खसरे का चयन कर प्रत्येक ग्राम हेतु प्रकरण दर्ज करें।
2. आयुक्त महोदय द्वारा उक्त ग्राम के सर्वे हेतु जारी अधिसूचना की जानकारी दर्ज करें।
3. अधिसूचना की प्रति अपलोड करें।
4. खसरा की प्रति या मिसल खसरा की प्रति अपलोड करें।
5. सेव करना है।



• रेवेन्यु केस मैनेजमेंट सिस्टम (RCMS) पोर्टल पर सर्वे हेतु प्रकरण दर्ज किया जाना

The screenshot shows the RCMS portal interface. The header includes the logo and name of the system: "म.प्र. रेवेन्यु केस मैनेजमेंट सिस्टम" (Madhya Pradesh Revenue Case Management System). The user is logged in as "Welcome, po.dindori". The main content area displays a list of cases under the heading "एक्सेप्ट / रिजेक्ट" (Accepted / Rejected). A search bar is present above the table. The table has the following columns: क्र. (Sl. No.), प्रकरण क्रमांक (Case No.), रजिस्ट्रेशन दिनांक (Registration Date), आवेदन से प्राप्त (Received from), वादियों का विवरण (Details of Parties), प्रतिवादियों का विवरण (Details of Opposing Parties), विषय (Subject), and चुनें (Select). The first case is highlighted with a red box, and the "चुनें" button is circled in red.

क्र.	प्रकरण क्रमांक	रजिस्ट्रेशन दिनांक	आवेदन से प्राप्त	वादियों का विवरण	प्रतिवादियों का विवरण	विषय	चुनें
1	0043/ अ-3/2020- 21	28/07/2020		म.प्र.शासन पिता --	समस्त ग्राम वासी	आबादी सर्वे	चुनें
2	0042/ अ-3/2020- 21	28/07/2020		म.प्र.शासन पिता --	समस्त ग्राम वासी	आबादी सर्वे	चुनें
3	0041/ अ-3/2020- 21	28/07/2020		म.प्र.शासन पिता --	समस्त ग्राम वासी	आबादी सर्वे	चुनें

1. रीडर द्वारा आवेदन पूर्ण करने पर प्रकरण **कलेक्टर** लॉगइन पर प्रोसेस हेतु उपलब्ध हो जाता है।
2. चुने बटन का चयन करने पर प्रकरण में प्रोसेस प्रारंभ होगी।



• रेवेन्यु केस मैनेजमेंट सिस्टम (RCMS) पोर्टल पर सर्वे हेतु प्रकरण दर्ज किया जाना

म.प्र. रेवेन्यु केस मैनेजमेंट सिस्टम
प्रमुख राजस्व आयुक्त, राजस्व विभाग, म.प्र. शासन

Welcome, po.dindori

प्रारम्भिक आदेश (Note:कृपया हिंदी (unicode)में लिखें।इंग्लिश में लिखने के लिए Ctrl+g क्लिक करें)

1

1. प्रकरण विधिवत दर्ज हो।
2. नियम 14 अनुसार प्ररूप 14 में अधिसूचना जारी हो।
3. सहायक सर्वेक्षण अधिकारी ग्राम स्तर पर कार्य किये जाने हेतु दल गठन करें।

सहायक सर्वेक्षण अधिकारी

ओके प्रारम्भिक आदेश में मॉडिफिकेशन की जरूरत है

अगली सुनवाई

अगली सुनवाई का कारण

अगली सुनवाई दिनांक

एक्सेट करें रिजेक्ट करें

1. यहां पर प्रारंभिक आदेश पत्रिका तैयार प्राप्त होती है जिसे देख सकते हैं एवं संशोधित भी कर सकते हैं।
2. अगली सुनवाई हेतु एक्टिविटी एवं पेशी की तारीख का चयन करना होगा।
3. तत्पश्चात यह प्रकरण रीडर के लॉगइन पर PO को भेजे गये आवेदन टैब पर प्रोसेस हेतु उपलब्ध होगा।



- रेवेन्यु केस मैनेजमेंट सिस्टम (RCMS) पोर्टल पर सर्वे हेतु प्रकरण दर्ज किया जाना

म.प्र. रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम
राजस्थान विधान, र.प्र. हासन

welcome rd.betul

Navigation

- रेवेन्यू
- अवेदन खंडे
- घात न्यू अवेदन
- PO को भेजे न्यू अवेदन / घात प्रकरण
- सीहरा आदेश
- घात सूची
- प्रकरण पर अन्य गतिविधियाँ
- जॉब प्रतिवेदन

45	Pub-APP-1789	19/03/2020	shin brsh tenfg	भूमि अवेदन हेतु अवेदन		
46	Public-APP-1180	22/11/2019	test	अभिलेख दुस्ती	Public	
47	0531030502066-APP-1139	14/11/2019	Lal RAL	भूमि अवेदन हेतु अवेदन		
48	Pub-APP-1094	18/10/2019	Jim kumar	अ-19(1)		
49	0531030502037-APP-1093	18/10/2019	kehal Singh	अ-19(1)		

दि. दर्ज

दि. पंजीकृत
दि. इन्फिण्ड आदेश
बंद करें

1. यहां पर रीडर अधिसूचना एवं PRO को भेजा जाने वाला पत्र डाउनलोड कर सकता है।
2. समस्त प्रकरण को प्रिंट कर सकता है जिसमें उपरि पत्र, प्रारंभिक आदेश पत्रिका आदि शामिल हैं।
3. इसके पश्चात प्रकरण रीडर द्वारा सहायक सर्वेक्षण अधिकारी/ तहसीलदार को अग्रेषित किया जाना होगा।



- रेवेन्यु केस मैनेजमेंट सिस्टम (RCMS) पोर्टल पर सर्वे हेतु प्रकरण दर्ज किया जाना

PRINT

प्ररूप-अ
परिपत्र दो-1 की कंडिका (6 देखिये)
राजस्व आदेश-पत्र(रेवेन्यू आर्डर शीट)
न्यायलय जिला सर्वेक्षण अधिकारी जिला बैतूल

राजस्व प्रकरण क्रमांक : 0008/अ-3/2020-21 मद - अ-3

विषय : ग्रामीण आबादी क्षेत्र का सर्वेक्षण

बंदोबस्त क्रमांक : पटवारी हत्का : आमता ग्राम : आमता तहसील : आमता

सर्वेक्षण अधिकारी का क्रमांक : _____ सन : _____
सहायक सर्वेक्षण अधिकारी का क्रमांक : _____ सन : _____

आदेश क्रमांक कार्यवाही की तारीख और स्थान	पौडासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आदेश-पत्र अथवा कार्यवाही	जहाँ आवश्यक हो, पक्षकारों अथवा दकीलों के हस्ताक्षर,आदेशों के पालन करने वाले लिपिक के संक्षिप्त हस्ताक्षर और पालन की तारीख
16/07/2020	आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक add बैतूल दिनांक 16-07-2020 के आधार पर एवं मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम 2020 के उपबंधों के अधीन तहसील आमता ग्राम आमताकी आबादी के सर्वे का कार्य किया जाना है जिसमे ग्राम की आबादी का नक्शा तथा अधिकार अभिलेख तैयार किया जायेगा।	

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows

1. प्रारम्भिक आदेश पत्रिका की प्रति



- रेवेन्यु केस मैनेजमेंट सिस्टम (RCMS) पोर्टल पर सर्वे हेतु प्रकरण दर्ज किया जाना

प्ररूप-चौदह
(नियम 14 देखिए)
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

कार्यालय जिला सर्वेक्षण अधिकारी, जिला

क्रमांक- / भू-सर्वेक्षण / - / 2020

दिनांक

अधिसूचना

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 14 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं..... जिला सर्वेक्षण अधिकारी, एतद्वारा यह घोषित करता हूँ कि आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक दिनांक जो कि राजपत्र में प्रकाशित की गई है, जिसमें वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन अधिसूचित किए गए हैं।

भू-सर्वेक्षण के दौरान नवीन अधिकार अभिलेख तैयार किया जाएगा जिसमें समस्त खातेदारों के नाम, उनके अंश, दायित्व तथा सुखाचार अधिकार अभिलिखित किए जाएंगे तथा ग्रामों के लिए निस्तार पत्रक तथा वाजिब-उल-अर्ज भी तैयार किया जाएगा।

उन सभी व्यक्तियों से जो कि प्रभावित हो सकते हों, यह अपेक्षा की जाती है कि वे उक्त सर्वेक्षण संक्रियाओं के दौरान अपने क्षेत्र में उपस्थित रहें तथा अभिनियोजित कर्मचारियों को सहयोग करें तथा भूमि में उनके स्वत्व, सीमाओं, अंशों, दायित्वों और अधिकारों को उपलब्ध कराएं। यह समस्त कृषकों के हित में होगा।

1. दो समाचार पत्रों में अधिसूचना जारी किया जाना।

❖ RCMS पोर्टल पर सहायक सर्वेक्षण अधिकारी / तहसीलदार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही -

- सर्वेक्षण हेतु दल गठन किया जाना
- दल के प्रत्येक सदस्य को पत्र द्वारा सूचित किया जाना



- रेवेन्यु केस मैनेजमेंट सिस्टम (RCMS) पोर्टल पर सर्वे हेतु प्रकरण दर्ज किया जाना

न्यायलय तहसीलदार एवं सहायक सर्वेक्षण अधिकारी
तहसील..... जिला..... (म.प्र.)

राजस्व प्रकरण क्र.- दिनांक-

आदेश
-----00-----

जिला सर्वेक्षण अधिकारी जिला.....द्वारा जारी अधिसूचना क्र..... दिनांक अनुसार ग्राम की आबादी क्षेत्र का सर्वेक्षण झोन पद्धति से किया जाना है | भू- सर्वेक्षण के दौरान नवीन अधिकार अभिलेख तैयार किया जावेगा |

उक्त कार्य करने के लिए निम्नानुसार दल गठन किया जाता है-

क्र.	सदस्य का नाम	धारित पद	दल में पद
1.		पटवारी	
2.		सचिव ग्राम पंचायत	
3.		कोटवार	
4.			
5.			
6.			

उपरोक्त दल समय समय पर शासन / कलेक्टर / जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा दिये गये आदेश / निर्देशानुसार नियमानुसार समय समय पर कार्य करेगा | तथा सभी नियमों का पालन किया जाना सुनिश्चित करेगा |

तहसीलदार
सहायक सर्वेक्षण अधिकारी

1. सहायक सर्वेक्षण अधिकारी/ तहसीलदार के लॉगिन पर प्रकरण से संबंधित कर्मचारियों का सर्वेक्षण हेतु दल गठन किया जाने का मॉड्यूल उपलब्ध है जहां कर्मचारियों का नाम चयन कर दल गठित करना है।
2. पटवारी के लिए उसके सारा लॉगइन पर यह पत्र पोर्टल से पश हो जावेगा। शेष को तामील कराना होगा।



SAARA एप्प पर आबादी सर्वे की प्रक्रिया

2





❖ दल गठन पश्चात SAARA पोर्टल पर की जाने वाली कार्यवाही -

- सारा एप्लीकेशन द्वारा सर्वे हेतु चेकलिस्ट का अनुपालन किया जाना
- SoI द्वारा की जाने वाली कार्यवाही
- सारा एप्प द्वारा जमीनी स्तर पर प्रारूप नक्शे का सत्यापन

❖ सारा एप्लीकेशन द्वारा सर्वे हेतु चेकलिस्ट का अनुपालन किया जाना-

- तहसीलदार/ सहायक सर्वेक्षण अधिकारी की चेकलिस्ट
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की चेकलिस्ट
- ड्रोन से आबादी सर्वे के दौरान पटवारी की चेकलिस्ट



तहसीलदार/ सहायक सर्वेक्षण अधिकारी की चेकलिस्ट

क्रमांक	विवरण	दिनांक	हाँ / नहीं
1	क्या उक्त ग्राम की आबादी क्षेत्र का ड्रोन सर्वे पहले नहीं हुआ है?		
2	क्या ड्रोन उड़ान की सक्षम अधिकारी से प्राप्त स्वीकृति सर्वे ऑफ इंडिया को प्राप्त हो चुकी है?		
3	क्या स्थानीय पुलिस थाना को ड्रोन सर्वे की जानकारी और समय सारणी दे दी गई है?		
4	क्या कर्मचारियों को समय सारणी के अनुसार कार्य का वितरण किया है?		
5	क्या ड्रोन सर्वे की समय सारणी ग्राम पंचायत के पटल पर प्रदर्शित की है?		
6	क्या विशेष ग्राम सभा आयोजित कर सर्वे की जानकारी ग्रामवासियों को दी गई है?		
7	क्या आबादी भूमि में निवासरत व्यक्तियों की जानकारी को समग्र डाटा में अद्यतन कर दिया गया है?		
8	शासकीय विभाग की सम्पत्तियों के चिन्हांकन के संबंध में सर्व सम्बन्धित को उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया है?		
9	क्या सेटलाइट इमेज पर अंकित ग्राम आबादी की सीमा मौके पर चिन्हित की गयी है?		
10	क्या चूने/चूने के घोल द्वारा सभी संपत्तियों को चिन्हित किया है?		
11	पटवारी एवं सचिव द्वारा आबादी सीमा में शासन के विभिन्न विभागों को आबंटित भूमि (स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पताल इत्यादि) की जानकारी तहसीलदार द्वारा गठित दल को दी गयी है?		



मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की चेकलिस्ट

क्रमांक	विवरण	दिनांक	हाँ / नहीं
1	क्या विशेष ग्राम सभा आयोजित कर सर्वे की जानकारी ग्राम वासियों को दी गई है?		
2	क्या ड्रोन सर्वे की समय सारणी ग्राम पंचायत के पटल पर मे प्रदर्शित की है?		
3	क्या आबादी भूमि में निवासरत व्यक्तियों की संपत्तियों को समग्र आई.डी. डाटा में अद्यतन कर दिया गया है?		
4	क्या सार्वजनिक / शासकीय संपत्ति को चिन्हित करने के लिए ग्राम पंचायत के पास पर्याप्त मात्रा में चूना/ चूने के घोल उपलब्ध है?		
5	क्या ड्रोन उडान के पूर्व की सभी तैयारियां हो चुकी है?		



ड्रोन से आबादी सर्वे के दौरान पटवारी की चेकलिस्ट

क्रमांक	विवरण	दिनांक	हाँ / नहीं
1	क्या अलग-अलग क्रम में ड्रोन सर्वे के बारे में शुरू से आखरी तक नोटिस वितरण आदि कार्यों को पूर्ण कर लिया गया है?		
2	क्या ग्रामवासियों को ड्रोन सर्वे के बारे में मुनादी कर जानकारी दी गयी है?		
3	सेटेलाइट इमेज के ऊपर प्राप्त आबादी क्षेत्र सीमा का प्रतिरूपण कर चुना/चूने के घोल से सीमा नियत कर दी गई है?		
4	क्या निर्देशानुसार सम्पतियों को चुना/चूने के घोल से चिन्हित किया जा चुका है?		
5.	क्या ड्रोन सर्वे प्रारंभ होने से समाप्त होने तक सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों/ ग्रामीणों की सर्वे कार्य के संबंध में सहायता हेतु आपके दल के सभी सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित कर ली गयी है?		

❖ Sol द्वारा SAARA एप्प पर की जाने वाली कार्यवाही –

- पटवारी, तहसीलदार एवं अन्य अधिकारीयों द्वारा सर्वे हेतु चेकलिस्ट में दर्शाई गई प्रक्रिया का अनुपालन करने उपरांत उक्त ग्रामों की सूची Sol की दिए गये सारा पोर्टल पर सर्वे की कार्यवाही हेतु प्राप्त हो जाएगी ।
- Sol द्वारा सर्वे हेतु ग्राम एवं दिनांक का चयन
- जमीनी स्तर पर सत्यापन हेतु ग्रामों का प्ररूप नक्शा अपलोड



• SAARA एप्प सारा एप्प पर SOI द्वारा की जाने वाली कार्यवाही

स्वामित्व योजना अंतर्गत सर्वेक्षण हेतु ग्राम की सूची

जिला * 01-मुरैना तहसील * 06-कैलारस जानकारी देखें रिसेट करें

क्रं	ग्राम	सर्वेक्षण शुरू करने की दिनांक	सर्वेक्षण पूरा होने की दिनांक	मैप फाइल	शेप फाइल	फाइल
1	इटोरा	15/07/2020	22/07/2020	फाइल अपलोड करें	फाइल अपलोड करें	सुरक्षित करें
2	सोईपुरा	01/07/2020	08/07/2020	फाइल अपलोड करें	फाइल अपलोड करें	सुरक्षित करें
3	उचा			फाइल अपलोड करें	फाइल अपलोड करें	सुरक्षित करें

1

2

3

□□□ को चेक लिस्ट में ग्रामवार डेटा भरना है।

□ सर्वेक्षण की प्रारंभिक तिथि और अंतिम तिथि में संशोधन करना होगा।


◀ □ प्ररूप मैप फाइल अपलोड किया जाना ।

❖ सारा एप्प द्वारा जमीनी स्तर पर प्रारूप नक्शे का सत्यापन एवं अधिकार अभिलेख हेतु जानकारी दर्ज करना –

- पटवारी द्वारा नक्शा डाउनलोड करना
- प्रारूप नक्शे का जमीनी स्तर पर सत्यापन करना
- प्रारूप नक्शे की ग्राउंड ट्रुथिंग कर भूमि स्वामियों, उपयोग एवं अन्य जानकारी दर्ज करना
- प्रारूप अधिकार अभिलेख तैयार करने हेतु जानकारी भेजा जाना



- SAARA एप्प सारा एप्प पर सर्वे हेतु की जाने वाली कार्यवाही



1.सारा एप्प पर पटवारीयों द्वारा अपने लॉग इन आई डी द्वारा लॉग इन किया जाना |

2. सर्वे सम्बंधित प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु स्वामित्व आइकॉन पर क्लिक करें |




- SAARA एप्प सारा एप्प पर सर्वे हेतु की जाने वाली कार्यवाही



1. चयनित ग्राम में सम्बंधित प्रक्रिया प्रारम्भ करने हेतु SOI द्वारा अपलोड किया गया प्ररूप नक्शा डाउनलोड किया जाना।



- SAARA एप्प सारा एप्प पर सर्वे हेतु की जाने वाली कार्यवाही



1. डाटा डाउनलोड करने हेतु ग्राम का चयन करें |




- SAARA एप्प सारा एप्प पर सर्वे हेतु की जाने वाली कार्यवाही



1. ग्राम आबादी का नक्शा
डाउनलोड करें |



- SAARA एप्प सारा एप्प पर सर्वे हेतु की जाने वाली कार्यवाही



1. डाटा सत्यापन हेतु ग्राम का चयन करें |



- SAARA एप्प सारा एप्प पर सर्वे हेतु की जाने वाली कार्यवाही

The screenshot shows the SAARA app interface. At the top, there is a status bar with the time 18:06 and 97% battery. Below it, the app title is 'SOI डेटा सत्यापन'. A red circle with the number '1' highlights the map area. The map shows a satellite view with yellow outlines of plots. Below the map, there is a form with the following text: 'पूरे अबादी प्लॉट का नक्शा राजस्व गांव के नक्शे के साथ सत्यापित है अथवा नहीं'. There are two radio buttons: 'स्वीकृत' (Accepted) and 'अस्वीकृत' (Not Accepted). A red circle with the number '2' highlights the 'स्वीकृत' radio button. Below the radio buttons is a text input field labeled 'विवरण लिखे' (Write details). A red circle with the number '3' highlights this input field. At the bottom of the form is a button labeled 'जमा करें' (Submit).

1. Sol द्वारा प्रदान किये गए नक्शे का सत्यापन –
2. यदि प्ररूप नक्शा राजस्व ग्राम के साथ सत्यापित हैं तो स्वीकृत पर क्लिक करें एवं आगे की प्रक्रिया पूर्ण करे ।
3. यदि प्ररूप नक्शा राजस्व ग्राम के साथ सत्यापित नहीं हैं हैं तो अस्वीकृत पर क्लिक करें एवं अस्वीकृत करने का विवरण लिखे , जिससे यह नक्शा वापस Sol की त्रुटी सुधार हेतु प्रेषित हो जायेगा ।




- SAARA एप्प सारा एप्प पर सर्वे हेतु की जाने वाली कार्यवाही



1. सभी सत्यापित गांव का नक्शा हरे रंग के टैब में प्रदर्शित होगा और सत्यापित गांव लाल रंग के टैब में प्रदर्शित नहीं होगा। जहां सत्यापन लंबित है, आकाश नीले रंग में प्रदर्शित होगा।
2. पटवारी द्वारा सत्यापित सभी गाँव के नक्शे ग्राउंड ट्रुथिंग के लिए प्रदर्शित होंगे।



- SAARA एप्प सारा एप्प पर सर्वे हेतु की जाने वाली कार्यवाही



1. स्वीकृत ग्रामों की सूची से ग्रामों की सूची हेतु ग्राम का चयन करना ।
2. ग्राम का चयन करने हेतु ग्रामों की सूची पर क्लिक करें ।



- SAARA एप्प सारा एप्प पर सर्वे हेतु की जाने वाली कार्यवाही



1.चयनित ग्राम के अन्दर ग्राउंड ड्रिथिंग हेतु प्लाट की सूची ।



- SAARA एप्प सारा एप्प पर सर्वे हेतु की जाने वाली कार्यवाही

GT हेतु नया प्लाट चुने :

<input type="checkbox"/>	1
<input type="checkbox"/>	2
<input type="checkbox"/>	3
<input type="checkbox"/>	4
<input type="checkbox"/>	5
<input type="checkbox"/>	6
<input checked="" type="checkbox"/>	7
<input type="checkbox"/>	8
<input type="checkbox"/>	9
<input type="checkbox"/>	10

CANCEL OK

1. ग्राउंड ड्रथिंग हेतु प्लाट का चयन |



- SAARA एप्प सारा एप्प पर सर्वे हेतु की जाने वाली कार्यवाही

PAYALIGHUGHRI MAL- ग्राउंड टूथिंग

Approx. Scale 1: 14657 आबादी मैप

MPSSDI, CLR, SOI Powered by Esri

1 प्लाट की आकृति
 सहमत असहमत
विवरण लिखे

2 परिमीटर : 668.731
 सहमत असहमत
विवरण लिखे

3 प्लाट का क्षेत्रफल : 7083.83
 सहमत असहमत
विवरण लिखे

1. ग्राउंड टूथिंग हेतु चयनित प्लाट की आकृति का सत्यापन करें -
 - यदि आकृति प्ररूप नक्शे अनुरूप हैं तो सहमत पर क्लिक करे अन्यथा असहमत पर क्लिक करके सही आकार का विवरण लिखे |
2. इसी प्रकार पेरीमीटर की जानकारी का सत्यापन करें –
 - यदि पेरीमीटर प्ररूप नक्शे अनुरूप हैं तो सहमत पर क्लिक करे अन्यथा असहमत पर क्लिक करके सही जानकारी का विवरण लिखे
3. क्षेत्रफल की जानकारी का भी सत्यापन करें –
 - यदि क्षेत्रफल प्ररूप नक्शे अनुरूप हैं तो सहमत पर क्लिक करे अन्यथा असहमत पर क्लिक करके सही जानकारी का विवरण लिखे



- SAARA एप्प सारा एप्प पर सर्वे हेतु की जाने वाली कार्यवाही

The screenshot shows the SAARA app interface. At the top, there is a status bar with the time 18:08 and 97% battery. Below it, the text 'विलय विभाजन गाँव की' is displayed, followed by a circled '1' indicating the first step. A red box highlights the text 'PAYALIGHUGHRI MAL'. At the bottom, there is a button labeled 'विभाजन/विलय', which is also circled with a '2' and highlighted with a red box, indicating the second step.

प्ररूप नक्शे के सत्यापन के समय जमीनी स्तर की स्थिति को देखते हुए संपत्तियों के विभाजन एवं विलय की सुविधा प्रदान की गई है।

1. विलय एवं विभाजन हेतु ग्राम का चयन करें।
2. चयन उपरांत विभाजन / विलय पर क्लिक करें।



- SAARA एप्प सारा एप्प पर सर्वे हेतु की जाने वाली कार्यवाही

PAYALIGHUGHRI MAL
विभाजन/विलय

सूची से चुने मैप से चुने 1

प्लॉट नंबर : 1 क्षेत्र : 7083.83 (sq meter)	<input checked="" type="checkbox"/>
प्लॉट नंबर : 2 क्षेत्र : 227.482 (sq meter)	<input type="checkbox"/>
प्लॉट नंबर : 3 क्षेत्र : 2689.47 (sq meter)	<input type="checkbox"/>
प्लॉट नंबर : 4 क्षेत्र : 814.958 (sq meter)	<input type="checkbox"/>
प्लॉट नंबर : 5 क्षेत्र : 329.797 (sq meter)	<input type="checkbox"/>
प्लॉट नंबर : 6 क्षेत्र : 11307.8 (sq meter)	<input type="checkbox"/>
प्लॉट नंबर : 7 क्षेत्र : 241.918 (sq meter)	<input type="checkbox"/>

विभाजन करे

1. विभाजन हेतु प्लॉट का चयन करें
2. विभाजन की प्रक्रिया हेतु विभाजन आइकॉन पर क्लिक करें |



- SAARA एप्प सारा एप्प पर सर्वे हेतु की जाने वाली कार्यवाही

PAYALIGHUGHRI MAL
विभाजन/विलय

सूची से चुने मैप से चुने 1

प्लॉट नंबर : 1 क्षेत्र : 7083.83 (sq meter)	<input checked="" type="checkbox"/>
प्लॉट नंबर : 2 क्षेत्र : 227.482 (sq meter)	<input checked="" type="checkbox"/>
प्लॉट नंबर : 3 क्षेत्र : 2689.47 (sq meter)	<input type="checkbox"/>
प्लॉट नंबर : 4 क्षेत्र : 814.958 (sq meter)	<input type="checkbox"/>
प्लॉट नंबर : 5 क्षेत्र : 329.797 (sq meter)	<input type="checkbox"/>
प्लॉट नंबर : 6 क्षेत्र : 11307.8 (sq meter)	<input type="checkbox"/>
प्लॉट नंबर : 7 क्षेत्र : 241.918 (sq meter)	<input type="checkbox"/>

2

↑
मर्ज करे

1. विलय हेतु एक से अधिक ऐसे प्लॉटों का चयन करें जिनका विलय किया जाना है ।
2. विलय की प्रक्रिया हेतु विलय आइकॉन पर क्लिक करें ।



- SAARA एप्प सारा एप्प पर सर्वे हेतु की जाने वाली कार्यवाही

ROR 1

ग्राम : PAYALIGHUGHRI
MAL

LGD Code :491520

1. अधिकार अभिलेख तैयार करने हेतु ग्राम का चयन करें |



- SAARA एप्प सारा एप्प पर सर्वे हेतु की जाने वाली कार्यवाही

The screenshot shows the SAARA app interface for a specific location (ROR). The app displays a list of 10 plots, each with a plot number and its corresponding area value. The status bar at the top indicates 97% battery and the time 18:09.

प्लॉट क्रमांक	रकवा
प्लॉट क्रमांक :1	7083.83
प्लॉट क्रमांक :2	227.482
प्लॉट क्रमांक :3	2689.47
प्लॉट क्रमांक :4	814.958
प्लॉट क्रमांक :5	329.797
प्लॉट क्रमांक :6	11307.8
प्लॉट क्रमांक :7	241.918
प्लॉट क्रमांक :8	214.256
प्लॉट क्रमांक :9	119.91
प्लॉट क्रमांक :10	317.834

1.चयनित ग्राम के सभी प्लॉटो की सूची प्राप्त करें |



- SAARA एप्प सारा एप्प पर सर्वे हेतु की जाने वाली कार्यवाही

ROR 1

ग्राम :PAYALIGHUGHRI MAL LGD Code :491520 प्लॉट क्र. :4

निजी भूमि स्वामी निजी स्वामी संस्था शासकीय

शासकीय

खसरा क्र.	199/1
प्लॉट एरिया	814.958
स्वामित्व का प्रकार	शासकीय
विभाग	मध्यप्रदेश शासन
प्रकार	

अभियुक्ति

सेव

2

1. प्रत्येक प्लॉट का चयन कर उस प्लॉट हेतु दिए गए विकल्पों में से जमीनी स्तर पर यथास्थिति अनुसार जानकारी दर्ज करें, जैसे **शासकीय भूमि की स्थिति में** –

- भूमि स्वामी प्रकार
- खसरा क्रमांक
- प्लॉट एरिया
- विभाग का नाम दर्ज करें

2. आगे की प्रक्रिया हेतु सेव पर क्लिक करें



- SAARA एप्प सारा एप्प पर सर्वे हेतु की जाने वाली कार्यवाही

ROR

ग्राम :PAYALIGHUGHRI MAL LGD Code :491520 प्लाट क्र. :4

निजी भूमि स्वामी निजी स्वामी संस्था शासकीय

निजी स्वामी संस्था

खसरा क्र. 199/1

प्लाट एरिया 814.958

भूमि का उपयोग

1 निवास गृहों के प्रयोजन औद्योगिक प्रयोजन

वाणिज्यिक प्रयोजन कृषिक प्रयोजन

शैक्षणिक प्रयोजन पूर्त प्रयोजन

अन्य प्रयोजन

अभियुक्ति

भूमि स्वामी जोड़े

2

1. निजी संस्था स्वामी की स्थिति में –

- भूमि स्वामी प्रकार
- खसरा क्रमांक
- प्लाट एरिया
- भूमि का उपयोग .

2. एक से अधिक भूमि स्वामी होने पर भूमि स्वामी जोड़े पर क्लिक करें एवं पुनः भूमि स्वामी की जानकारी दर्ज करें ।



- SAARA एप्प सारा एप्प पर सर्वे हेतु की जाने वाली कार्यवाही

ROR

1

ग्राम :PAYALIGHUGHRI MAL LGD Code :491520 प्लॉट क्र. :4

निजी भूमि स्वामी निजी स्वामी संस्था शासकीय

निजी भूमि स्वामी

खसरा क्र. 199/1

प्लॉट एरिया 814.958

भूमि का उपयोग निवास गृहों के प्रयोजन औद्योगिक प्रयोजन
 वाणिज्यिक प्रयोजन कृषिक प्रयोजन
 शैक्षणिक प्रयोजन पूर्त प्रयोजन
 अन्य प्रयोजन

आभेयॉक्त

भूमि स्वामी जोड़े

2

1. निजी भूमि स्वामी की स्थिति में

- भूमि स्वामी प्रकार
- खसरा क्रमांक
- प्लॉट एरिया
- भूमि का उपयोग .

2. एक से अधिक भूमि स्वामी की स्थिति में भूमि स्वामी जोड़े पर क्लिक करें एवं पुनः भूमि स्वामी की जानकारी दर्ज करें ।



- SAARA एप्प सारा एप्प पर सर्वे हेतु की जाने वाली कार्यवाही

ROR

ग्राम :PAYALIGHUGHRI MAL LGD Code :491520 प्लॉट क्र. :4

निजी भूमि स्वामी

खसरा क्र.	199/1
प्लॉट एरिया	814.958
भूमि का उपयोग	निवास गृहों के प्रयोजन, औद्योगिक प्रयोजन

1 सग्न आईडी* खोजे

आधार नंबर* 2

3 हिस्सा* 1 / 1

मोबाइल नंबर

4 ईमेल

5 प्रथम नाम

मध्य नाम

अंतिम नाम

पिता/पति

सम्बन्ध

1. निजी भूमि स्वामी की स्थिति में समग्र आई डी निश्चित रूप से दर्ज करें एवं खोजे पर क्लिक करें।
2. यदि उपलब्ध हो तो आधार नम्बर भी लिया जा सकता है।
3. संपत्ति धारक का हिस्सा अनिवार्य रूप से दर्ज करें।
4. मोबाइल नंबर एवं ईमेल आई डी दर्ज करें।
5. अगली स्लाइड देखें -



- SAARA एप्प सारा एप्प पर सर्वे हेतु की जाने वाली कार्यवाही

ROR

समग्र आईडी* 164203837 खोजे

आधार नंबर*

हिस्सा* 1 / 1

मोबाइल नंबर

ईमेल

प्रथम नाम मेन्दा

मध्य नाम

अंतिम नाम

पिता/पति ---

सम्बन्ध Self

लिंग Female DOB 01/01/1945

जाति OBC उपजाति

स्वत्व का विवरण भूमि स्वामी

पता

5

6 सेव करे

5. निजी भूमि स्वामी की स्थिति में समग्र आई डी सही दर्ज करने पर यह जानकारी सिस्टम से अवतरित हो जाएगी ।
6. सम्पूर्ण जानकारी दर्ज करने उपरांत सेव करें एवं आगे की प्रक्रिया पूर्ण करें ।



- SAARA एप्प सारा एप्प पर सर्वे हेतु की जाने वाली कार्यवाही

ROR

ग्राम :PAYALIGHUGHRI MAL LGD Code :491520 प्लॉट क्र. :4

निजी भूमि स्वामी निजी स्वामी संस्था शासकीय

निजी भूमि स्वामी

1

खसरा क्र. 199/1

प्लॉट एरिया 814.958

भूमि का उपयोग निवास गृहों के प्रयोजन औद्योगिक प्रयोजन

वाणिज्यिक प्रयोजन कृषिक प्रयोजन

शैक्षणिक प्रयोजन पूर्त प्रयोजन

अन्य प्रयोजन

नाम	पिता/पति	हिस्सा	देखे	डिलीट
मेन्दा	---	1/1		

अभियुक्ति

3

भूमि स्वामी जोड़े

4

रिकॉर्ड सफलतापूर्वक सहेजा गया

1. निजी भूमि स्वामी की संपत्ति पर एक से अधिक भूमि के उपयोग होने पर एक सभी प्रकार के उपयोग का चयन करें |
2. एक से अधिक प्रयोजन होने पर उपयोग अनुसार हिस्से को प्रदर्शित करें |
3. एक से अधिक भूमि स्वामी होने पर भूमि स्वामी जोड़े पर क्लिक कर भूमि स्वामी की जानकारी दर्ज करें |
4. अन्यथा सेव पर क्लिक करके आगे की प्रक्रिया पूर्ण करें |



- SAARA एप्प सारा एप्प पर सर्वे हेतु की जाने वाली कार्यवाही

ROR

ग्राम :PAYALIGHUGHRI MAL LGD Code :491520 प्लॉट क्र. :4

निजी भूमि स्वामी निजी स्वामी संस्था शासकीय

निजी भूमि स्वामी

खसरा क्र. 199/1

प्लॉट परिया 814.958

भूमि स्वामी

जानकारी!!

क्या आप प्लॉट की जानकारी अंतिम रूप से सुरक्षित करना चाहते हैं। अंतिम रूप से सुरक्षित होने के उपरांत प्रविष्टि सुधारी नहीं जा सकेगी।

नाम	पिता/पति	विस्था	देखें	डिलीट
मेन्दा	---			

अभियुक्ति test

1. सेव करने उपरांत यदि आप प्लॉट की जानकारी अंतिम रूप से सुरक्षित करना चाहते हैं तो **हाँ** पर क्लिक करें |

नोट - अंतिम रूप से सुरक्षित होने के उपरांत प्रविष्टि सुधारी नहीं जा सकती इसीलिए कृपया आपने द्वारा दर्ज की गई जानकारी से सुरक्षित करने के पहले संतुष्ट हो जाये |

RCMS पोर्टल – आबादी सर्वे प्रक्रिया चरण तीन



3





- अधिकार अभिलेख प्रकाशन एवं दावा-आपत्ति

- SAARA पोर्टल से प्राप्त डाटा के आधार पर RCMS में, सहायक सर्वेक्षण अधिकारी इशतहार जारी करेंगे
- सभी प्रकरणों के समान इशतहार आरसीएमएस पोर्टल में प्रदर्शित किया जावेगा।
- ग्राम के सभी संपत्ति धारकों को व्यक्तिगत नोटिस जारी किया जाएगा
- जारी उद्घोषणा (इशतहार) के विरुद्ध नागरिक को प्रत्येक भूखंड संख्या के संबंध में आपत्ति दर्ज करने की सुविधा होगी। आपत्ति इशतहार अवधि तक ही दर्ज की जा सकेगी।



- अधिकार अभिलेख प्रकाशन

- तहसीलदार द्वारा SAAA वेब तहसीलदार लॉगिन पर आपत्ति का निराकरण किया जावेगा और इसे SAARA ऐप में पटवारी को भी भेजा जा सकता है -
- यदि आपत्तियों को पटवारी प्रतिवेदन हेतु भेजा जाता है तो SAARA एप के पटवारी लॉगिन में उन आपत्तियों का विवरण प्रदर्शित किया जाएगा।
- पटवारी निरीक्षण करके (डाटा अपडेट करके) तहसीलदार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा
- अद्यतित रिकॉर्ड तहसील न्यायालय और रीडर लॉगिन में प्रदर्शित किये जायेंगे ।
- आपत्तियों के निराकरण के आधार पर आरसीएमएस में डाटा फाइनल कर अधिकार अभिलेख को अंतिम रूप प्रदान किया जायेगा।

धन्यवाद

समितियों का गठन एवं उनके कर्तव्य



विभिन्न समितियों का गठन

जिले में आबादी सर्वे के कार्य का क्रियान्वयन एवं सतत निगरानी विभिन्न समितियों के माध्यम से की जायेगी। उपरोक्त समितियों का स्वरूप निम्नानुसार होगा:-

- I. तहसील स्तरीय समिति
- II. ग्राम पंचायत स्तरीय समिति



विभिन्न समितियों का गठन

• तहसील स्तरीय समिति

क्र.	समिति के सदस्य	पद
1.	अनुविभागीय अधिकारी	अध्यक्ष
2.	तहसीलदार	सदस्य-सचिव
3.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	सदस्य
4.	संबंधित थाना प्रभारी	सदस्य
5.	अधीक्षक भू-अभिलेख अथवा उनके द्वारा नामांकित सदस्य	सदस्य

समिति के कर्तव्य:

1. सर्वेक्षण करने के लिए जमीनी स्तर की गतिविधियों के लिए समन्वय
2. उपस्थित भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अधिकारीगण एवं कर्मचारियों द्वारा **जमीनी स्तर पर किये जाने वाले कार्य में सहायता** एवं समन्वय
3. **आम जनता में जागरूकता** एवं योजना के प्रचार प्रसार की कार्यवाही
4. यह सुनिश्चित करना की विभिन्न **विभागों को आबादी में उनकी संपत्ति के चिन्हांकन हेतु उपस्थिति की सूचना** दे दी गयी है।



विभिन्न समितियों का गठन

• ग्राम पंचायत स्तरीय समिति

क्र.	समिति के सदस्य	पद
1.	सरपंच, संबंधित ग्राम पंचायत	अध्यक्ष
2.	सचिव, ग्राम पंचायत	सदस्य
3.	पटवारी	सदस्य-सचिव
4.	ग्राम कोटवार	सदस्य
5.	ग्राम सभा द्वारा नामांकित दो सदस्य	सदस्य

समिति के कर्तव्य:

1. सर्वेक्षण के बारे में गाँव के निवासियों में जागरूकता पैदा करना।
2. ड्रोन उड़ान के पूर्व चूने/चूने के घोल से चिन्हांकन का कार्य सुनिश्चित करना।
3. डोर टू डोर सर्वे में सहायता एवं समन्वय
4. अधिकार अभिलेख संपादन कार्य में सहायता
5. सर्वेक्षण करने के लिए जमीनी स्तर की गतिविधियों के लिए समन्वय।
6. दावे-आपत्ति के समाधान में सहायता करना।
7. ड्रोन द्वारा भू-मापन कार्य के संपादन के लिए आवश्यकता अनुसार श्रमिक एवं सामग्री इत्यादि का प्रबंध ग्राम पंचायत द्वारा किया जाना।

योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया



आबादी सर्वे की प्रक्रिया

❖ प्रथम चरण - प्ररूप नक्शों के निर्माण से पूर्व के कार्य

- अधिसूचना का प्रकाशन
- न्यायालय में प्रकरण दर्ज करना
- इशतेहार प्रकाशन
- ग्राम सभा का आयोजन



प्रथम चरण : प्रारंभिक तैयारी

- **ग्राम सभा का आयोजन एवं जागरूकता अभियान**
 - **ग्राम सभा का आयोजन** करके यह सुनिश्चित करना कि तहसील स्तरीय प्रशासनिक अमला तथा जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत के सदस्य एवं अन्य स्थानीय **जन प्रतिनिधि को आबादी सर्वे की प्रक्रिया एवं इससे होने वाले लाभों** से भली-भांति अवगत कराया जाये जिससे योजना में उनकी सहभागिता प्राप्त हो सके।
 - **आमजन तक जागरूकता** लाने हेतु पारंपरिक साधन जैसे गाँव में डोंडी पिटवाई जा सकती हैं
 - **ग्रामसभा में भी आमजन की उपस्थिति** सुनिश्चित करवाकर प्रचार प्रसार किया जा सकता है



प्रथम चरण : प्रारंभिक तैयारी

- सर्वे गतिविधियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन
 - यह सुनिश्चित करना कि प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु कार्यशाला भवन आदि निःशुल्क उपलब्ध कराये जावें
 - विभिन्न हितधारियों के प्रशिक्षण (कैपेसिटी बिल्डिंग) कार्यक्रमों का प्रबंध एवं प्रशिक्षकों से समन्वय
 - प्रशिक्षण हेतु लोजिस्टिक्स का प्रबंध



आबादी सर्वे की प्रक्रिया

❖ द्वितीय चरण - प्ररूप नक्शे का निर्माण

- चूने से आबादी क्षेत्र एवं भूखंडों की सीमायें निर्धारित करना
- शासकीय भूखंडों का चिन्हांकन
- ड्रोन सर्वे के ठीक पूर्व की तैयारी



द्वितीय चरण : सर्वे की कार्यवाही

- **चूने से आबादी क्षेत्र एवं भूखंडों की सीमायें निर्धारित करना**
 - **आबादी भूमि की बाह्य सीमा** - पटवारी द्वारा आबादी भूमि की बाह्य सीमा को चूने/ चुने के घोल के घोल के माध्यम से मौके पर चिन्हित किया जायेगा
 - **आबादी भूमि पर निर्मित क्षेत्र** एवं उसके उसके सलंग्न खुला क्षेत्रकी सीमाए सम्बंधित सम्पत्तिधारक से चूना / चूने के घोल से चिन्हित कराई जाये
 - यह कार्य नये सिरे से होने के कारण सम्पत्ति धारक मौके पर आपसी सहमति से चूना लाइन डालकर अपने विवादों को पूर्णरूप से हल कर सकेंगे
 - सार्वजनिक / शासकीय संपत्ति का सही तरीके से चिन्हांकन सुनिश्चित करना



द्वितीय चरण : सर्वे की कार्यवाही

चूना कहाँ डाले

- रास्तो, निजी एवं सार्वजनिक संपत्ति को चिन्हांकित करने के लिए
- यदि किसी संपत्ति के साथ खुला हुआ भूखंड हैं जिस पर संपत्ति धारक का अधिपत्य हैं
- सार्वजनिक संपत्ति एवं उनके सलंग्गित खुले हुये भूखंड को चिन्हांकित करने हेतु
- उदाहरणार्थ – स्कूल के साथ लगा हुआ खेल का मैदान

चूना कहाँ ना डाले

- यदि निजी / सार्वजनिक संपत्तियों की सीमाये चिन्हित (बाउंड्री) हैं
- यदि किसी संपत्ति के साथ खुला हुआ भूखंड नहीं हैं, सिर्फ छत हैं
- सार्वजनिक संपत्ति जिनके साथ खुले हुये भूखंड नहीं हैं, सिर्फ छत हैं
- उदाहरणार्थ – पंचायत भवन



द्वितीय चरण : सर्वे की कार्यवाही

शासकीय भूखंडों का चिन्हांकन

- पटवारी द्वारा आबादी भू-भाग (क्षेत्र में) में स्थित शासन के विभिन्न विभागों की परिसम्पत्तियों (स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पताल इत्यादि) की जानकारी तहसीलदार द्वारा गठित दल को दी जायेगी एवं स्थल पर चिन्हांकित किया जावेगा
- शासकीय, सार्वजनिक उपयोग की ग्राम पंचायत की संपत्तियों का चिन्हांकन तहसीलदार द्वारा गठित दल द्वारा किया जायेगा
- विभागों की संपत्ति के चिन्हांकन के समय संबंधित विभाग का प्रतिनिधि उपस्थित रहेगा
- शासकीय, सार्वजनिक ग्राम पंचायत संपत्तियों के चिन्हांकन हेतु श्रमिकों की व्यवस्था संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा सुनिश्चित की जायेगी




द्वितीय चरण : सर्वे की कार्यवाही

ड्रोन सर्वे के ठीक पूर्व की तैयारी

- ड्रोन द्वारा आबादी सर्वेक्षण हेतु निश्चित दिनांक के **एक दिवस पूर्व** ड्रोन द्वारा **सर्वे कार्य की जानकारी ग्रामवासियों** को दिये जाने हेतु सार्वजनिक मुनादी करायी जावे
- पटवारी द्वारा **आबादी भूमि की बाह्य सीमा को चूना / चूने के घोल** के माध्यम से मौके पर चिन्हित किया जायेगा
- संपत्ति की सीमायें चिन्हित करते समय यदि कोई **विवाद उत्पन्न होता है तो ग्राम स्तरीय समिति** के सहयोग से इसका निराकरण किया जायेगा
- **ड्रोन के उड़ान भरने एवं उतरने हेतु खुला स्थान** चुना जाये जिससे आमजन या सार्वजनिक संपत्तियों को कोई नुकसान न पहुंचे

द्वितीय चरण : सर्वे की कार्यवाही

i. चूने से आबादी क्षेत्र एवं भूखंडों की सीमाएँ निर्धारित करना



यहाँ यह जानना आवश्यक है, आबादी में स्थित शासकीय, सार्वजनिक ग्राम पंचायत संपत्तियों के चिन्हांकन की सैटिलाइट इमेजरी का रेसोल्यूशन 0.5 मीटर होने से कुछ स्थानों पर यह सीमा पेड़ों अथवा भवनों के ऊपर से गुज़रती हुई प्रतीत होगी इस स्थिति में उस सीमा को मौके पर माप कर चूना / चूने के घोल से चिन्हित करायी जाए।

*यदि किसी जगह आबादी सीमा मौके पर चिन्हित करने में विवाद कि स्थिति है तो तहसीलदार द्वारा गठित दल इसका सत्यापन कर चूना / चूने के घोल से आबादी की सीमाएँ चिन्हित करेंगे।



खेती के खसरे को भी आबादी क्षेत्र में दिखाया गया है,



Abadi Khasra Boundary



Surveyed Plots Boundary

प्लॉट नंबर 35 और 36 को आबादी क्षेत्र में दर्शाया गया है,



 Abadi Khasra Boundary

 Surveyed Plots Boundary

बिना चुना लाइन के भी प्लॉट काटा गया है,



 Abadi Khasra Boundary

 Surveyed Plots Boundary



❑ सड़क को चुने लाइन से बंद नहीं किया गया है और सड़क को नम्बर भी नहीं दिया है ।

❑ 09 और 10 नम्बर प्लॉट के बीच में सड़क को मार्क नहीं किया गया है ।



सड़क एवं आबादी की सीमा एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं हैं





समनापूर में किये गए सर्वे से सीखने योग्य बिंदु

- ग्राम सभा का सफलतापूर्वक आयोजन सुनिश्चित करना
- गणवत्ता पूर्वक प्ररूप नक्शा तैयार करने हेतु चूने से आबादी क्षेत्र एवं भूखंडों का सही तरीके से निर्धारण
- भूखंड के साथ खाली जमीनों का संपत्ति धारक द्वारा चूने से दर्शाने में सहभागिता
- एक ही छत के नीचे अलग अलग दरवाजे होने पर परिवारों के अधिकार अनुसार चूने से विभाजन
- ग्राम समितियों द्वारा सरकारी संपत्तियों को सही से निर्धारण करते हुए दर्शाना



आबादी सर्वे की प्रक्रिया

❖ तृतीय चरण - प्ररूप नक्शों का सत्यापन

- प्ररूप नक्शा
- नक्शों का स्थल सत्यापन
- प्ररूप नक्शा में संशोधन
- संशोधित प्रारूप नक्शा



तृतीय चरण : प्ररूप नक्शे का सत्यापन

प्ररूप नक्शा :

- भारतीय सर्वेक्षण विभाग (SOI) द्वारा प्ररूप नक्शा उपलब्ध कराया जायेगा।
- प्ररूप नक्शे में आबादी क्षेत्र के सभी प्लॉट क्रमांकित होंगे
- यह क्रमांक उत्तर-पश्चिम के कोने से प्रारंभ होकर दक्षिण-पूर्व के कोने पर समाप्त होंगे
- इस प्ररूप नक्शे में आबादी क्षेत्र की सीमा से लगे हुए अतिरिक्त प्लॉट (यदि कोई हों तो) भी दर्शित होंगे, जिन पर क्रमांक नहीं होगा। इनका उपयोग भौतिक सत्यापन में सुविधा के लिए किया जा सकेगा



तृतीय चरण : प्ररूप नक्शे का सत्यापन

प्ररूप नक्शे का स्थल सत्यापन

- डोर-टू-डोर सर्वे की प्रक्रिया -

1. घर-घर जाकर किये गये सर्वे के समय जो लोग निवासरत पाये जाते हैं उनके मामलों में उनके दिनांक 25-9-2018 की स्थिति में अधिभोगी होने अथवा उसके पश्चात् की तिथि में विधिपूर्वक बसे होने की तसदीक की जायेगी
2. तहसीलदार/ सहायक सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा पटवारी, ग्राम पंचायत सचिव एवं कोटवार द्वारा घर-घर जाकर नियम-6 में वर्णित अधिकार अभिलेख में प्रत्येक प्लॉट की प्रविष्टियाँ संधारित की जायेगी
- 3 प्ररूप नक्शे में दर्शित प्लॉट के अधिभोगी परिवार के मुखिया का नाम तैयार की जा रही अधिकार अभिलेख में लिखा जायेगा
4. अधिकार अभिलेख संधारित करने हेतु **समग्र आई.डी. का उपयोग प्राथमिकता** से किया जायेगा। इसके अलावा व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि **मोबाइल क्रमांक, ईमेल एवं आधार क्रमांक** इत्यादि भी संकलित की जाएगी



तृतीय चरण : प्ररूप नक्शे का सत्यापन

डोर-टू-डोर सर्वे की प्रक्रिया –

5. जिन मामलों में समग्र आई.डी. नहीं होगी पंचायत से समग्र आई.डी. विधिवत जारी कराते हुए जानकारी पंजी में संधारित की जायेगी
6. यदि एक प्लाट में एक से अधिक परिवार निवासरत है तो प्रत्येक परिवार के मुखिया का नाम आपसी सहमति के आधार पर उनके हिस्सा का उल्लेख करते हुए अधिकार अभिलेख में दर्ज किया जायेगा
7. अधिकार अभिलेख हेतु संधारित जानकारी की सर्वे सॉफ्टवेयर पर विधिवत प्रविष्टि की जायेगी।
8. सर्वे सॉफ्टवेयर पर प्रविष्टि दर्ज करने की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत सॉफ्टवेयर के माध्यम प्ररूप अधिकार अभिलेख का प्रिंट लिया जा सकेगा




परिवार की परिभाषा: परिवार से आशय ऐसे व्यक्तियों का समूह जो सामान्यतः एक साथ रहते हैं तथा एक ही रसोई से तैयार भोजन ग्रहण करते हैं जब तक की व्यवसाय की बाध्यता के कारण उनमें से कोई सदस्य ऐसा न करता हो।



तृतीय चरण : प्ररूप नक्शे का सत्यापन


❖ आबादी सर्वे कार्य के दौरान संपत्ति धारक के नाम का निर्धारण करते समय निम्नांकित परिस्थितियाँ मौके पर हो सकती हैं :-

परिस्थिति-01 - ऐसी संपत्ति जहाँ एक मकान में एक परिवार निवासत हो, उसमें परिवार के मुखिया का नाम संबंधित प्लॉट नंबर के साथ अंकित किया जावेगा।



उदाहरण 01 - प्लॉट नंबर 2001, राहुल पुत्र राजेश

परिस्थिति-02 - ऐसी संपत्ति जहाँ एक मकान में एक से अधिक परिवार निवासरत हैं, उसमें प्रत्येक परिवार के मुखिया का नाम एवं हिस्सा की जानकारी संबंधित प्लॉट नंबर के साथ अंकित किया जावेगा।



उदाहरण 02 - प्लॉट नंबर 2001, राहुल पुत्र राजेश हिस्सा 1/2, रवि पुत्र मोहनचंद्र हिस्सा 1/2



तृतीय चरण : प्ररूप नक्शे का सत्यापन

परिस्थिति 03 - ऐसी संपत्ति जहाँ निर्मित मकान में एक से अधिक परिवार निवास करते हैं और उनकी छत आपस में जुड़ी हुई हैं, किन्तु आने-जाने हेतु अलग-अलग दरवाजा है और स्थल पर उक्त सम्पत्ति को अलग अलग संपत्ति के रूप में नक्शे में विभाजित कर दर्शाया जा सकता हो। प्ररूप नक्शे में ऐसी संपत्ति हेतु यदि एक ही प्लॉट नंबर अंकित किया गया है।



उदाहरण 03- प्राप्त प्लॉट नंबर 1001 जिसमें 02 पृथक दरवाजे हैं, दोनों परिवार के निवास हेतु, एवं परिवार की परिभाषा अनुसार 02 पृथक परिवार हैं
प्लॉट नंबर 1001/ 1 राहुल पुत्र राजेश
प्लॉट नंबर 1001/ 2 रवि पुत्र मोहनचंद्र



तृतीय चरण : प्ररूप नक़शे का सत्यापन

परिस्थिति-04 – ऐसी संपत्ति जिसमें निर्मित मकान की छत आपस में जुड़ी हुई हैं और एक से अधिक परिवार निवास करते हैं एवं आने-जाने हेतु एक ही दरवाजा है, या एक मकान एक मंजिल में एक या अधिक परिवार एवं दूसरी मंजिल में एक या अधिक परिवार निवासरत हों, ऐसे प्लॉट को शामिल संपत्ति माना जाकर निवासरत परिवारों के मुखिया के नाम अंकित कर हिस्सा अंकित किया जावेगा।



उदाहरण 04- प्लॉट नंबर 1005 जिसमें विकास हेतु एक दरवाजा है एवं परिवार की परिभाषा अनुसार 03 परिवार शामिल रूप से निवासरत हैं, या तीनों परिवार मकान की अलग-अलग मंजिल/ हिस्से पर निवासरत हैं, वहाँ निम्नानुसार जानकारी अंकित की जा सकेगी :-

प्लॉट नंबर 1005

राहुल पुत्र राजेश हिस्सा 1/3, रवि पुत्र मोहनचंद्र हिस्सा 1/3,
अतुल पुत्र ज्ञानी हिस्सा 1/3



तृतीय चरण : सर्वे पश्चात अभिलेख निर्माण की कार्यवाही

- प्ररूप दावा-आपत्ति दर्ज एवं उनका निराकरण
- सहायक सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा ग्रामवासियों की ओर से प्राप्त दावे/आपत्तियों की जाँच, विहित रीति से सुनवाई करते हुए, की जावेगी। जांच हेतु निम्न कार्यवाही की जाएगी:
 - आबादी अधिकार-अभिलेख में दर्ज प्रत्येक प्रविष्टि को सहायक सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा उपस्थित व्यक्तियों को पढ़कर सुनाया जाएगा एवं प्रविष्टियों की जांच की जाएगी
 - यदि हित रखने वाला कोई व्यक्ति किसी प्रविष्टि का ठीक होना स्वीकार कर ले और कोई अन्य व्यक्ति उस पर आपत्ति ना उठाए, तो उसकी स्वीकारोक्ति अधिकारी द्वारा टिप्पणी के खाने में दर्ज कर ली जाएगी और प्रविष्टि को अंतिम रूप दे दिया जाएगा
 - यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो अधिकार अभिलेख में विधि अनुसार यथोचित संसोधन किया जायेगा
 - जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा आबादी अधिकार अभिलेख के प्ररूप के प्रकाशन उपरान्त प्राप्ति समस्त दावे/आपत्ति का निराकरण होने के बाद अधिकार अभिलेख को अंतिम रूप दिया जाएगा



तृतीय चरण : सर्वे पश्चात अभिलेख निर्माण की कार्यवाही

- संपत्ति धारको को संपत्ति कार्ड एवं अन्य अधिकार अभिलेख का वितरण
- सर्वेक्षण की प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत सभी सम्पत्ति धारको को संपत्ति कार्ड के साथ साथ अन्य अधिकार अभिलेख प्रदान किये जायेंगे

क्रियान्वयन हेतु समय-सीमा



क्रियान्वयन हेतु समय-सीमा

क्र.	गतिविधियां	जिम्मेदारी	समय-सीमा
1.	आबादी क्षेत्र के सर्वेक्षण की अधिसूचना जारी किया जाना	आयुक्त, भू-अभिलेख	T-0 Days
2	जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा अधिसूचना में वर्णित ग्रामों में आबादी सर्वेक्षण हेतु उदघोषणा जारी किया जाना	जिला सर्वेक्षण अधिकारी	T+8 Days
3.	ग्रामवासियों को सर्वेक्षण की जानकारी देने हेतु ग्राम सभा का आयोजन	जिला सर्वेक्षण अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत	T+15 Days
4	परियोजना कार्य का लाभ उठाने के बारे में ग्रामीणों को संवेदनशील बनाना	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत	T+30 Days
5	ड्रोन उड़ान के पहले मालिकों के साथ सम्पत्ति की सीमाओं पर चूना लाईन द्वारा अंकन	ग्राम पंचायत पटवारी	T+45 Days
6	ड्रोन द्वारा आबादी की फॉटोग्राफी	भारतीय सर्वेक्षण विभाग	T+45 Days
7	ड्रोन डेटा प्रोसेसिंग और आर्थो रेक्टिफिकेशन	भारतीय सर्वेक्षण विभाग	T+75 Days
8	डोर-टू-डोर सर्वे कार्य	पटवारी / सचिव	T+120 Days
9	आबादी अभिलेखों का प्रकाशन एवं दावा आपत्तियों का निराकरण	सहायक सर्वेक्षण अधिकारी	T+150 Days
10	आबादी अभिलेख एवं नक्शा का अंतिम प्रकाशन	जिला सर्वेक्षण अधिकारी	T+165 Days
11	सर्वेक्षण संक्रियाओं के समापन की अधिसूचना जारी किया जाना।	आयुक्त भू- अभिलेख	T+180 Days

योजना हेतु बजट का प्रावधान

योजना हेतु बजट का प्रावधान



- **पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग** – पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पंचायतों के माध्यम से सर्वेक्षण की कार्यवाही में ड्रोन सर्वे हेतु उपलब्ध नक्शा अनुसार चूना लाइन डालने हेतु चूना पाउडर की खरीद, मजदूरी तथा अन्य सामग्री क्रय हेतु **अधिकतम राशि 5000/-** तक प्रति ग्राम व्यय करने की पात्रता होगी
- राजस्व विभाग द्वारा विभागीय अमले के प्रमाणन/अनुमोदन पश्चात ग्रामीण आबादी अभिलेखों के निर्माण तथा प्रकाशन, दावे आपत्ति आमंत्रित करना, दावे आपत्तियों का निराकरण तथा संशोधित अभिलेखों के प्रकाशन आदि कार्यों को करने हेतु मजदूरी, सामग्री तथा प्रिंटिंग स्टेशनरी व्यय हेतु **अधिकतम राशि 7500/-** तक प्रति ग्राम पात्रता होगी | व्ययों का भुगतान पंचायतों द्वारा किया जायेगा
- उपर्युक्त सभी कार्यों हेतु राशि की व्यवस्था राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत चौदह / पंद्रहवे वित्त आयोग तथा राज्य वित्त आयोग की राशि से की जावेगी

**आबादी सर्वे से विभिन्न
हितग्राहियों को होने वाले लाभ**



आबादी सर्वे से विभिन्न हितग्राहियों को होने वाले लाभ

योजना के क्रियान्वयन हेतु विभागों के दायित्व निर्धारित किये गए हैं जिससे की आपसी समन्वय के साथ सर्वे की प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सके ,

- I. ग्राम वासियों को होने वाले लाभ
- II. गाम पंचायतों को होने वाले
- III. शासन को होने वाले लाभ

आबादी सर्वे से विभिन्न हितग्राहियों को होने वाले लाभ



ग्राम वासियों को होने वाले लाभ-

- ग्रामीण संपत्तियों का अधिकार अभिलेख होना
- प्रत्येक संपत्ति धारक को उसकी संपत्ति का स्वामित्व प्रमाण पत्र
- संपत्तियों पर बैंक से ऋण लेना आसान होगा
- संपत्तियों के पारिवारिक विभाजन, संपत्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया सुगम
- पारिवारिक सम्पत्ति के विवाद कम होंगे



आबादी सर्वे से विभिन्न हितग्राहियों को होने वाले लाभ

ग्राम पंचायतों को होने वाले लाभ-

- संपत्ति शुल्क के रूप में पंचायत को स्थानीय आय के साधन प्राप्त होना
- पंचायत स्तर पर ग्राम विकास की योजना बनाने में सुविधा
- शासकीय एवं सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा एवं रख रखाव आसान
- संपत्ति सम्बंधित विवादों में कमी
- संपत्ति के नामांतरण एवं बटवारा का प्रत्यक्ष अधिकार

प्रचार- प्रसार

प्रचार प्रसार – वाल पेंटिंग

स्वामित्व योजना के लाभ



पंचायतों का

- इससे सम्पत्ति का कर के दायरे में आना और पंचायतों द्वारा कर संग्रह करना सम्भव होगा।
- इस आमदनी से पंचायतें ग्रामीण नागरिकों को बेहतर सुविधा दे पायेगी।
- ड्रॉन के उपयोग से ग्राम पंचायत के पास गाँव का सुविधा मानचित्र व रिकार्ड उपलब्ध होगा।
- उपलब्ध रिकार्ड का उपयोग कर वसूली में भवन निर्माण हेतु परमिट जारी करने में अवरोध कब्जा समाप्त करने आदि के लिये किया जा सकेगा।

गा. प्रधान
श्रीमती राजकुमारी देवी

गा. पं. वि.अधि.
दीपक नेगी

सं. वि.अधि. पं.
रणवीर सिंह कुंठेन

खं. वि.अधि.
अर्पणा बहुगुणा

जि. पं. री.अधि.
एम. एम. खान

पंचायती राज विभाग पोड़ी मढ़वाल



ग्रामीण नागरिकों का

- सम्पत्ति के मालिक को मालिकाना हक प्राप्त होगा।
- मालिकाना हक से ग्रामवासी अपनी सम्पत्ति का विविध उपयोग ऋण लेने में सक्षम होंगे।
- गाँव के आवासीय क्षेत्र का रिकार्ड पंचायत को प्रदान कर सकेंगे।
- सम्पत्ति के स्पष्ट आंकलन एवं स्वामित्व का निर्धारण होने से उनके मूल्य में वृद्धि होगी।



8171680722



**नोट - कृपया विस्तृत गतिविधियों के लिए राजस्व विभाग द्वारा जारी
“ग्रामीण आबादी सर्वे हेतु मार्गदर्शिका” को देखे ।**